संख्या: 114/2026/ 434पू0वि0नि0/35-1-2026-1723455

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2026

विषय:- पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत जनपद जौनपुर की 37 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-855/पू0वि0नि0/(2024-25)/DESTO/2025-26, दिनांक 23.12.2025 एवं पत्र संख्या-1066/पू0वि0नि0/(2024-25)/DESTO/2025-26, दिनांक 03.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद जौनपुर की कतिपय परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र यथा यूसी/फार्म-42 आई, बी0 एम0-15 व एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं बचत पत्र पर सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 47/2025/608पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/12/2025, दिनांक 29.03.2025 द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगली किश्त के रूप में उनके सम्मुख स्तम्भ-11 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रू0 435.76 लाख (रूपये चार करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) है, को पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र	परियोजना का नाम	लम्बाई कि.मी. में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत जी0एस0टी0 एवं कंटीजेंसी सहित	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि (4-7)	गठित अनुबन्ध के आधार पर मांग की गयी धनराशि	GST एवं अन्य सूचना अनुसार आंकलित की गयी अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	विकास खण्ड रामपुर ग्रामसभा बासुपुर पटेल बस्ती से रमेश राजभर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.163	10.82	5.41	9.08	10.80	0.02	5.40	5.39	5.39
2	विकास खण्ड रामपुर ग्रामसभा छेरहटी से प्रयासपुर पुल तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	0.115	7.57	3.78	6.35	7.55	0.02	3.78	3.77	3.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	विकास खण्ड रामपुर ग्राम सभा नेवादा में चौरा माता मंदिर से मिश्रान बस्ती तक सीसी रोड़ का निर्माण कार्य।	0.162	10.76	5.38	9.03	10.74	0.02	5.36	5.36	5.36
4	विकास खण्ड मड़ियाहू बदौवा सजीवन के घर से होते हुरे हनुमान मंदिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	0.205	10.87	5.44	9.12	10.85	0.02	5.42	5.41	5.41
5	विकास खण्ड मड़ियाहूं ग्राम सभा कुतुबपुर रजमलपुर पक्की सड़क से गामा गौतम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	0.182	10.76	5.38	9.03	10.74	0.02	5.36	5.36	5.36
6	विकास खण्ड महराजगंज के बरहूपुर पिच रोड से ठाकुर बस्ती तक सम्पर्क गार्ग नव निर्माण कार्य ।	1.858	69.47	34.74	58.08	69.11	0.36	34.38	34.37	34.37
7	विकास खण्ड बदलापुर के फत्तूपुर रेलवे क्रासिंग एन0एच0-56 से बबुरा शर्मा बस्ती अशोक सिंह सम्पर्क गार्ग तक नव निर्माण कार्य।	1.532	61.41	30.71	51.35	61.10	0.31	30.40	30.39	30.39
8	विकास खण्ड सिकरारा ग्राम शेरवां उमाशंकर यादव के घर से सन्तलाल यादव के घर तक नव निर्माण कार्य।	0.450	21.07	10.54	17.69	21.05	0.02	10.52	10.51	10.51
9	विकास खण्ड सिकरारा ग्राम लखौआ फतेहगंज लखौआ बाजार वाली पक्की सड़क से राजबली के खेत से रामनाथ यादव के मकान तक नव निर्माण का कार्य।	0.450	19.85	9.92	16.66	19.82	0.03	9.91	9.90	9.90
10	विकास खण्ड मछलीशहर के ग्राम सभा राजेपुर में गोदाम से मौर्या बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण	0.360	19.57	9.78	16.42	19.53	0.04	9.75	9.75	9.75

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य।									
11	विकास खण्ड मछलीशहर के ग्राम सभा कसेरवां में रसई यादव के घर से रामनरेश यादव घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	0.170	11.12	5.56	9.25	11.00	0.12	5.45	5.44	5.44
12	विकास खण्ड जलालपुर ग्राम रामपुर सोइरी में पक्की सड़क से सागर पटेल के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	0.750	51.74	25.87	43.37	51.60	0.14	25.73	25.73	25.73
13	विकास खण्ड सुजानगंज के ग्रामसभा प्यारेपुर गौड़ बस्ती में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	0.350	24.21	12.10	20.31	24.16	0.05	12.07	12.06	12.06
14	विकास खण्ड केराकत ग्राम पंचायत उदयचंदपुर में सुमेर यादव के दुकान के पास से बांसबारी बंबावत मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	0.600	42.83	21.41	35.9	42.72	0.11	21.31	21.31	21.31
15	विकास खण्ड रामनगर ग्रामसभा जलालुदीनपुर (जल्दीपुर) पक्की सड़क से सत्य नारायण सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	0.185	10.68	5.34	8.93	10.62	0.06	5.29	5.28	5.28
16	विकास खण्ड रामनगर ग्राम सभा इटियाबीर नाले पर पुल निर्माण कार्य ।	-	12.99	6.50	10.86	12.92	0.07	6.42	6.42	6.42
17	विकास खण्ड करंजाकला ग्राम सलोनी महिमापुर में आरा पिच रोड से महाबल के घर तक तक पिच रोड़ का निर्माण कार्य।	0.300	14.48	7.24	12.09	14.38	0.10	7.16	7.14	7.14

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	मल्हनी विधान सभा के विशेधरपुर में मुख्य मार्ग से दिनेश खरौना के घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	0.670	39.18	19.59	32.81	39.04	0.14	19.45	19.45	19.45
19	विकास खण्ड करंजाकला ग्राम खरौना में मुस्तफाबाद सड़क से समरबहादुर चौहान के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.460	20.87	10.43	17.48	20.80	0.07	10.38	10.37	10.37
20	विकास खण्ड बक्सा ग्राम- भिवरहा में पिच रोड़ से पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	0.230	14.68	7.34	12.3	14.63	0.05	7.30	7.29	7.29
21	विकास खण्ड बरसठ़ी में जंघई जरौना मार्ग बनवासी बस्ती होते हुए शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	0.200	11.89	5.94	9.97	11.86	0.03	5.92	5.92	5.92
22	विकास खण्ड शाहगंज ग्राम पंचायत कोपा जयनगरा में विश्व बैंक मार्ग से शिव मंदिर ठाकुर बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	0.680	40.10	20.05	33.68	40.07	0.03	20.03	20.02	20.02
23	विकास खण्ठ शाहगंज जौनपुर शाहगंज मार्ग से ग्रामसभा चकसाग्यास में देवराईन माई के स्थान से होते हुए प्रवीण के विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य।	0.980	47.66	23.83	40.03	47.63	0.03	23.80	23.80	23.80
24	विकास खण्ड सुइथाकला सरपतहां समोधपुर सम्पर्क मार्ग से ऊँचगांव सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य ।	0.522	31.89	15.95	26.78	31.86	0.03	15.92	15.91	15.91

http://shasanadesh.up.gov.in

25	विकास खण्ड सुइथा कला गोदमियां स्थित नरवारी पिच रोड़ से दशरथ सिंह के खेत तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.200	12.80	6.40	10.74	12.78	0.02	6.38	6.38	6.38
26	विकास खण्ड बरसठी के ग्राम सभा चमरहा बार्डर से बरेठी सड़क तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.250	17.06	8.53	13.47	16.02	1.04	7.51	7.49	7.49
27	विकास खण्ड मड़ियाहूं के ग्राम सभा सेल्हुआपार में पक्की सड़क से कलर के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.210	10.86	5.43	8.58	10.21	0.65	4.78	4.78	4.78
28	विकास खण्ड रामपुर ग्राम सभा पंचवल बैसान पिच रोड़ से श्री नारायण सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.163	10.82	5.41	9.08	10.80	0.02	5.40	5.39	5.39
29	विकास खण्ड रामपुर ग्रामसभा सिकरौर पक्की रोड से अजित गौतम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	0.180	10.15	5.08	8.52	10.13	0.02	5.05	5.05	5.05
30	विकास खण्ड रामपुर ग्रामसभा जीतापुर पारसुपुर पिच रोड से दीनानाथ पटेल के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	0.202	11.72	5.86	9.84	11.70	0.02	5.85	5.84	5.84
31	विकास खण्ड शाहगंज ग्राम सन्दहा में प्रा0वि0 से बिन्द बस्ती तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य ।	0.660	33.75	16.88	28.12	33.46	0.29	16.58	16.58	16.58
32	विकास खण्ड डोभी में गांगी पुल सम्पर्क मार्ग उमरी से ठुठवा बाबा मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य।	0.570	30.12	15.06	25.28	30.08	0.04	15.02	15.02	15.02

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

33	विकास खण्ड सुइथाकला में अल्लीपुर पिच रोड से समसुद्दीनपुर में सत्यदेव सिंह के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य।	0.603	37.05	18.52	31.10	37.00	0.05	18.49	18.48	18.48
34	विकास खण्ड रामपुर ग्रामसभा कोदैला पिच रोड से सोनवानीपुर ठाकुर बस्ती तक सी०सी० रोड़ निर्माण निर्माण कार्य।	0.169	10.81	5.41	9.07	10.79	0.02	5.38	5.38	5.38
35	विकास खण्ड रामपुर के ग्रामसभा सुरेरी कोठीया की बारी से मां मुनका देवी विद्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	0.185	10.68	5.34	8.96	10.66	0.02	5.32	5.32	5.32
36	विकास खण्ड रामनगर ग्रामसभा तलासपुर हरीलाल पटेल के चक से राजेन्द्र पटेल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	0.163	10.82	5.41	9.04	10.75	0.07	5.35	5.34	5.34
37	विकास खण्ड करंजाकला सैदपुर गड़उर पाल्हामऊ कलां सम्पर्क मार्ग से सैदपुर गड़उर चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.300	57.01	28.51	47.79	56.87	0.14	28.36	28.36	28.36
	योग	16.429	880.12	440.07	736.16	875.83	4.29	435.98	435.76	435.76

(रू0 चार करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

(1) यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरूपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नही रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

(8) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

(12) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अंत तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(13) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(15) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(16) नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या–10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय कुल रू0 435.76 लाख (रूपये चार करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–40 के लेखा शीर्षक '' 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2.महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3.अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7.मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8.मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
9.मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
10.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11.जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।
12.अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड जौनपुर।
13.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।